

अतिआवश्यक
तत्काल

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

विषय:- निवर्तमान सरकार द्वारा विगत छः माह के निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित समिति द्वाश लिये गये निर्णयों की पालना के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निवर्तमान सरकार द्वारा विगत छः माह में लिये गये निर्णयों की समीक्षा हेतु गठित मंत्रिस्तरीय समिति की दिनांक 05.02.2020 को सम्पन्न हुई अंतिम बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में सक्षम रत्तर से निम्न निर्णय लिये गये:-

1. समस्त विभाग जिनके प्रकरण समिति द्वारा लम्बित रखे गये हैं, के संबंध में विभागों के प्रभारी मंत्री स्वयं के स्तर पर गुणावगुण (Merit) के आधार पर समीक्षा कर, निर्णयोपरांत माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर, तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।
2. समस्त विभाग जिनके कार्यों/निर्णयों की समीक्षा मंत्रिस्तरीय समिति द्वारा नहीं की गई है, वे विगत सरकार के छः माह (दिनांक 06.04.2018 से) में लिये गये निर्णयों की समीक्षा विभाग के प्रभारी मंत्री के स्तर पर गुणावगुण (Merit) के आधार पर, की जाकर निर्णय लिया जावें और उसका माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुमोदन प्राप्त कर, तदनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेंगे।

अतः समस्त विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय की पालना कर अविलम्ब कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करावें।


(डी०बी० गुप्ता)
मुख्य सचिव

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव

अशाली टीप क्रमांक: प. 5(1)म.म. / 2019
जयपुर, दिनांक: 6/3/2020